

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 580 / 2015

संस्थापित दिनांक 12 / 08 / 2015

फाइलिंग नंबर 230303007372015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. राजाराम राठौर पुत्र मानपाल राठौर
उम्र 52 वर्ष निवासी गोहदी वार्ड नं.
16 गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
2. लाल सिंह उर्फ पप्पू कुशवाह पुत्र बीरपाल
सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी गोहदी वार्ड
नं. 16 गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
3. ब्रजमोहन शर्मा पुत्र अलबेल कुमार शर्मा
उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम भगवासा थाना
गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

..... अभियुक्तगण

.....
(अपराध अंतर्गत धारा— 279, 341, 506 भाग 2 एवं 323(तीन शीर्ष) भा.दं.सं.)
(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार)
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता— श्री रामवीर बघेल)

.....
::— निर्णय —::

(आज दिनांक 06 / 04 / 2017 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 27 / 04 / 15 को रात्रि करीबन आठ नौ बजे गोहदी मोड़ के सामने आम रोड गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी राजाराम को मा-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी राजाराम को उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित करने, फरियादी राजाराम बघेल को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय फरियादी राजाराम एवं आहत ब्रजेश तथा राजवीर की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 294, 341, 506 भाग 2 एवं 323(तीन शीर्ष) के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 27 / 04 / 15 को रात्रि करीबन आठ नौ बजे फरियादी राजाराम अपने गांव चंदहारा से लगुन लेकर नवली खेरिया जा रहा था तभी गोहदी मोड़ पर राजाराम राठौर के मकान के पास आरोपी ब्रजमोहन राठौर, राजाराम एवं पप्पू कुशवाह ने उसका रास्ता रोक लिया था और उसे मा-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे थे उसने आरोपीगण को गालियां देने से मना किया था तो तीनों आरोपीगण ने उसकी लाठी-डण्डे से मारपीट

की थी जिससे उसके सिर में पीछे की तरफ चोट आयी थी एवं खून निकला था तथा उसके बांये हाथ में मुंदी चोट आयी थी, उसके भतीजे राजवीर एवं ब्रजेश ने उसे बचाया था तो तीनों आरोपीगण ने राजवीर एवं ब्रजेश की भी मारपीट की थी। आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क्रमांक 115/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 27/04/15 को रात्रि करीबन आठ नौ बजे गोहदी मोड़ के सामने आम रोड गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी राजाराम को मा-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ करित किया?
2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी राजाराम को उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित किया?
3. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी राजाराम को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया?
4. क्या घटना दिनांक को फरियादी राजाराम एवं आहत ब्रजेश तथा राजवीर के शरीर पर उपहतियां थीं? यदि हां तो उनकी प्रकृति?
5. क्या उक्त उपहतियां फरियादी राजाराम एवं आहत ब्रजेश तथा राजवीर को आरोपीगण और केवल आरोपीगण द्वारा ही स्वेच्छया कारित की गयी थीं?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से आहत राजवीर अ.सा.1, ब्रजेश अ.सा.2, फरियादी राजाराम बघेल अ.सा.3, डॉ. आलोक शर्मा अ.सा.4, प्रधान आरक्षक महेश धाकरे अ.सा.5, सुनील खेमरिया अ.सा.6 एवं ए.एस.आई. कमलेश कुमार ओझा अ.सा.7 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में आरोपी राजाराम ब.सा.1 द्वारा स्वयं को परीक्षित कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी राजाराम बघेल अ.सा.3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में कोई कथन नहीं दिया है। आहत राजवीर अ.सा.1 एवं ब्रजेश अ.सा.2 ने आरोपीगण द्वारा उनके चाचा फरियादी राजाराम को मा-बहन की गंदी-गंदी गालियां दिया जाना बताया है।

8. इस प्रकार आहत राजवीर अ.सा.1 एवं ब्रजेश अ.सा.2 ने तीनों आरोपीगण द्वारा मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां दिया जाना बताया है, परंतु यह बात स्वयं फरियादी राजाराम अ.सा.3 द्वारा नहीं बतायी गयी है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर आहत राजवीर अ.सा.1 एवं ब्रजेश अ.सा.2 के कथन फरियादी राजाराम अ.सा.3 के कथन से परस्पर विरोधाभासी रहे हैं इसके अतिरिक्त आहत राजवीर अ.सा.1 एवं ब्रजेश अ.सा.2 ने सभी आरोपीगण द्वारा गालियां दिया जाना तो बताया है, परंतु यह स्पष्ट नहीं किया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किये थे जिन्हें सुनकर फरियादी को क्षोभ कारित हुआ था। जहां कई अभियुक्तों पर गालियां दिये जाने का आरोप हो वहां साक्षीगण का मात्र यह कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि सभी आरोपीगण ने गालियां दी थीं साक्ष्य प्रत्येक आरोपी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट स्वरूप की होनी चाहिए। सभी आरोपीगण के विरुद्ध सामान्य स्वरूप की साक्ष्य स्वीकार योग्य नहीं होगी।

9. प्रस्तुत प्रकरण में आहत राजवीर अ.सा.1 एवं ब्रजेश अ.सा.2 ने सभी आरोपीगण द्वारा गालियां दिया जाना बताया है, परंतु यह बात स्वयं फरियादी राजाराम अ.सा.3 द्वारा नहीं बतायी गयी है। फरियादी राजाराम अ.सा.3 उक्त बिंदु पर मौन रहा है। इसके अतिरिक्त आहत राजवीर अ.सा.1 एवं ब्रजेश अ.सा.2 ने सभी आरोपीगण द्वारा गालियां दिया जाना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किये थे, जिन्हें सुनकर फरियादी को क्षोभ कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भा.दं.सं. की धारा 294 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध के लिए दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा.दं.सं. की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क. - 2

10. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी राजाराम बघेल अ.सा.3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में कोई कथन नहीं दिया है। आहत राजवीर अ.सा.1 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक को उसके चाचा राजाराम बघेल लगुन लेकर नावली खेरिया जा रहे थे तो तीनों आरोपीगण ने उसके चाचा का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। आहत ब्रजेश अ.सा.2 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन राजाराम लगुन लेकर नावली खेरिया जा रहा था तो रास्ते में आरोपी राजाराम राठौर, पप्पू एवं ब्रजमोहन शर्मा ने उनका रास्ता रोका था।

11. इस प्रकार आहत राजवीर अ.सा.1 एवं ब्रजेश अ.सा.2 ने आरोपीगण द्वारा फरियादी राजाराम का रास्ता रोक लेना बताया है, परंतु यह बात स्वयं फरियादी राजाराम अ.सा.3 द्वारा नहीं बतायी गयी है। फरियादी राजाराम अ.सा.3 का ऐसा कहना नहीं है कि आरोपीगण ने उनका रास्ता रोका था इस प्रकार उक्त बिंदु पर आहत राजवीर अ.सा.1 एवं ब्रजेश अ.सा.2 के कथन फरियादी राजाराम अ.सा.3 के कथन से परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। आहत राजवीर अ.सा.1 एवं ब्रजेश अ.सा.2 ने यह बताया है कि आरोपीगण ने घटना वाले दिन फरियादी राजाराम अ.सा.3 का रास्ता रोका था, परंतु यह बात स्वयं फरियादी राजाराम अ.सा.3 द्वारा नहीं बतायी गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त बिंदु पर आहत राजवीर अ.सा.1 एवं ब्रजेश अ.सा.2 के कथन विश्वास योग्य नहीं हैं। फरियादी राजाराम अ.सा.3 द्वारा उक्त बिंदु पर कोई कथन नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा.दं.सं. की धारा 341 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक - 3

12. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी राजाराम बघेल अ.सा.3 एवं आहत राजवीर

अ.सा.1 तथा ब्रजेश अ.सा.2 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में कोई कथन नहीं दिया गया है। उक्त साक्षीगण न्यायालय के समक्ष अपने कथन में आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी देने के बिंदु पर मौन रहे हैं। यद्यपि प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिये जाने का उल्लेख है, परंतु यह बात स्वयं फरियादी राजाराम बघेल अ.सा.3 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में नहीं बतायी गयी है। अभियोजन द्वारा उक्त बिंदु पर कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा.दं.सं. की धारा 506 भाग 2 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक - 4

13. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ. आलोक शर्मा अ.सा.4 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 27/04/15 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में थाना गोहद के आरक्षक सुनील द्वारा लाये जाने पर आहत राजाराम पुत्र महाराज सिंह का चिकित्सीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने राजाराम के शरीर में दो चोटें पायी थीं जिनमें से चोट क्र. 1 सिर में पीछे की तरफ फटा हुआ घाव एवं चोट क्र. 2 बांये कंधे पर नील का निशान पाया था उसके मतानुसार उक्त चोटें कड़े एवं मोथरे वस्तु से आना संभावित थीं जो उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व छः घण्टे के अंदर की थीं एवं साधारण प्रकृति की थी उसकी चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14. उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने उक्त दिनांक को ही आहत राजवीर का भी चिकित्सीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने राजवीर की दांयी जांघ में नील का निशान पाया था उसके मतानुसार उक्त चोट कड़े एवं मोथरी वस्तु से आना सम्भावित थी जो उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व छः घण्टे के अंदर की थी एवं साधारण प्रकृति की थी उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने उक्त दिनांक को ही आहत ब्रजेश का भी चिकित्सीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने ब्रजेश के सिर में दांयी तरफ नील का निशान पाया था उसके मतानुसार उक्त चोट कड़ी एवं मोथरी वस्तु से आना संभावित थी जो उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व छः घण्टे के अंदर की थी एवं साधारण प्रकृति की थी उसकी चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15. फरियादी राजाराम बघेल अ.सा.3 ने भी झगड़े के दौरान अपने सिर, बांयी भुजा तथा कमर में चोट आना बताया है। आहत राजवीर अ.सा.1 ने भी अपने कथन में झगड़े के दौरान उसके दांये पैर में चोट आना बताया है। आहत ब्रजेश अ.सा.2 ने भी झगड़े के दौरान अपने माथे एवं पैर में चोट आना बताया है। उक्त तीनों साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन उनके शरीर पर चोटें होने के बिंदु पर अखण्डनीय रहा है। उक्त बिंदु पर फरियादी राजाराम अ.सा.3, आहत राजवीर अ.सा.1 एवं ब्रजेश अ.सा.2 के कथन का समर्थन डॉ. आलोक शर्मा अ.सा.4 द्वारा भी किया गया है उक्त सभी साक्षीगण का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान घटना दिनांक को फरियादी एवं आहतगण के शरीर पर चोटें होने के बिंदु पर अखण्डनीय रहा है। डॉ. आलोक शर्मा अ.सा.4 चिकित्सीय विशेषज्ञ होकर स्वतंत्र साक्षी हैं उसकी फरियादी से कोई हितबद्धता एवं आरोपीगण से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं है। उक्त साक्षी का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी राजाराम एवं आहत राजवीर तथा ब्रजेश के शरीर पर चोटें होने के बिंदु पर अखण्डनीय भी रहा है एवं अखण्डनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखण्डनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है।

फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी राजाराम एवं आहत राजवीर तथा ब्रजेश के शरीर पर उपहतियां थीं जिनकी प्रकृति साधारण थी।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक – 5

16. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उक्त उपहतियां फरियादी राजाराम बघेल एवं आहत राजवीर तथा ब्रजेश को आरोपीगण द्वारा स्वेच्छया कारित की गयीं? उक्त संबंध में फरियादी राजाराम बघेल अ.सा.3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 27/04/15 के आठ बजे की है वह लगुन लेकर नामली खेरिया जा रहा था उसके साथ उसका बहनोई भूपसिंह भी था वह मोटरसाइकिल से जा रहे थे उसने गोहदी गेट पर हॉर्न बजाया था तो बच्ची अपने आप गिर गयी थी फिर वह वहां से निकलकर मण्डी गेट पहुंचा था तो ब्रजमोहन लाठी लेकर आ गया था। राजाराम के दरवाजे पर झगड़ा हुआ था। पप्पू कुशवाह भी आ गया था तीनों आरोपीगण ने उसे लाठी मारी थी वह बेहोश हो गया था उसके साथ उसके दोनों भतीजे राजवीर और ब्रजेश भी आ गये थे तो आरोपीगण ने उनकी भी मारपीट की थी उसने दिनांक 28/04/15 को घटना की रिपोर्ट की थी जो प्रदर्श पी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

17. प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह अपनी लड़की की लगुन लेकर अपने जीजा भूपसिंह के साथ जा रहा था। पद क्र. 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि जब तक उसके भतीजे ब्रजेश और राजवीर आये थे तब तक उसके दस पंद्रह लाठी लग गयी थीं। आरोपीगण ने उससे रिपोर्ट करने को मना कर दिया था इसलिए उसने रिपोर्ट नहीं की थी। पद क्र. 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसके सिर में पहली लाठी ब्रजमोहन ने मारी थी दूसरी लाठी बांयी भुजा में राजाराम ने मारी थी तीसरी लाठी पप्पू ने कमर में मारी थी, इसके बाद उसे होश नहीं रहा था फिर अस्पताल में इलाज कराने के बाद होश आया था। पद क्र. 5 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि मण्डी गेट पर पप्पू कुशवाह भी आ गया था। मण्डी गेट पर उसने कोई मारपीट नहीं की। मण्डीगेट पर भतीजे ब्रजेश और राजवीर मोटरसाइकिल से नहीं आये थे।

18. आहत राजवीर अ.सा.1 एवं ब्रजेश अ.सा.2 ने भी फरियादी राजाराम बघेल अ.सा.3 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपीगण द्वारा उनकी मारपीट किये जाने बाबत प्रकटीकरण किया है।

19. ए.एस.आई. कमलेश कुमार ओझा अ.सा.7 ने प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। सुनील खेमरिया अ.सा.6 ने व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 27/04/15 को आहत रामवीर, ब्रजेश एवं राजाराम को चिकित्सीय परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजा था। प्रधान आरक्षक महेश धाकरे अ.सा.5 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

20. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना को संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। उक्त संबंध में बचाव पक्ष द्वारा न्याय दृष्टांत गोविंद दास वि. मध्यप्रदेश राज्य 1998—1 एम.डबल्यू.एन.221 न्याय दृष्टांत बिट्टी बाई वि. भगवान सिंह 1999 एम.पी.डबल्यू.एन. 9 प्रस्तुत किये गये हैं। तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि घटना दिनांक को फरियादी राजाराम ने मोटरसाइकिल से आरोपी राजाराम राठौर की नातिन बबली एवं श्रद्धा को टक्कर मार दी थी उक्त टक्कर में राजाराम भी गिर पड़े थे उनके चोटें आ गयी थीं। उक्त संबंध में फरियादी राजाराम के विरुद्ध एक्सीडेंट की रिपोर्ट हुयी

थी एवं फरियादी राजाराम ने उक्त प्रकरण से बचने के लिए आरोपीगण के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध कराया है। उक्त संबंध में बचाव पक्ष की ओर से आरोपी राजाराम राठौर ब.सा.1 को परीक्षित कराया गया है।

21. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि फरियादी राजाराम बघेल अ.सा.3 एवं आहत राजवीर अ.सा.1 तथा ब्रजेश अ.सा.2 एक ही परिवार के सदस्य हैं। फरियादी द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है, परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क उचित नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि फरियादी राजाराम बघेल अ.सा.3 एवं आहत राजवीर अ.सा.1 तथा ब्रजेश अ.सा.2 एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है, परंतु फरियादी एवं आहत के कथनों की स्वतंत्र साक्षियों से समपुष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है यदि फरियादी एवं आहतगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्त्विक विसंगतियों से परे रहते हैं तो मात्र इस आधार पर फरियादी एवं आहतगण के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि उनके कथनों की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गयी है। अब देखना यह है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी एवं आहतगण के कथन इतने विश्वसनीय हैं जिसके आधार पर आरोपीगण को दोषारोपित किया जा सकता है।

22. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी राजाराम बघेल अ.सा.3 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक को वह लगुन लेकर अपने फूफा भूपसिंह के साथ मोटरसाइकिल से नावली खेरिया जा रहा था तो गोहदी गेट पर उसने हॉर्न बजाया था तो बच्ची अपने आप साइड में गिर गयी थी फिर वह वहां से निकलकर मण्डी गेट पहुंचा था तो राजाराम के दरवाजे पर झगड़ा हुआ था। ब्रजमोहन और पप्पू लाठी लेकर आ गये थे तीनों आरोपीगण ने लाठी मारी थी तो वह बेहोश हो गया था उसके भतीजे राजवीर और ब्रजेश भी आ गये थे तो आरोपीगण ने उनकी भी मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपीगण ने उसके दस पंद्रह लाठियां मारी थीं जब तक उसके भतीजे राजवीर और ब्रजेश आये थे तब तक उसके दस-पंद्रह लाठियां पड़ चुकी थीं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि मारपीट में वह बेहोश हो गया था फिर उसे गोहद अस्पताल में इलाज के बाद होश आया था वह अस्पताल में दो ढाई घण्टे भर्ती रहा था, परंतु यह बात कि आरोपीगण ने फरियादी राजाराम को दस पंद्रह लाठियां मारी थीं एवं वह मौके पर बेहोश हो गया था फरियादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं बतायी गयी है। उक्त तथ्यों का उल्लेख प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी राजाराम अ.सा.3 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथनों को किंचित बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, परंतु यह मानवीय स्वभाव है कि वह इस कारण से कि उसके कथनों पर अधिक विश्वास किया जाये अपने कथनों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, परंतु मात्र इस आधार पर फरियादी के सम्पूर्ण कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सच और झूठ के मिश्रण में से सच को प्रथक करे।

23. फरियादी राजाराम बघेल अ.सा.3 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि मण्डी गेट पर पप्पू कुशवाह आ गया था एवं मण्डी गेट पर पप्पू कुशवाह ने उसकी कोई मारपीट नहीं की थी। मण्डी गेट पर उसके भतीजे ब्रजेश और राजवीर मोटरसाइकिल से नहीं आये थे। इस प्रकार फरियादी राजाराम बघेल अ.सा.3 ने मण्डी गेट पर उसकी मारपीट न करना बताया है परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना मण्डी गेट की नहीं है, बल्कि आरोपी राजाराम राठौर के मकान के सामने की है। फरियादी राजाराम बघेल अ.सा.3 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में झगड़ा राजाराम के दरवाजे पर होना बताया है। अभियोजन कहानी के अनुसार मण्डी गेट पर घटना नहीं हुयी है ऐसी स्थिति में फरियादी राजाराम बघेल अ.सा.3 के उक्त कथन से

अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

24. आहत राजवीर अ.सा.1 ने भी झगड़े के दौरान आरोपीगण द्वारा उसकी राजाराम एवं ब्रजेश की मारपीट करना बताया है। उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि ब्रजमोहन ने राजाराम के सिर में लाठी मारी थी एवं राजाराम राठौर ने उसके पैर में पाटी मारी थी तथा पप्पू कुशवाह ने ब्रजेश के सिर में मारा था। आहत ब्रजेश अ.सा.2 ने भी आरोपीगण द्वारा उसकी राजाराम एवं राजवीर की मारपीट करना बताया है। उक्त साक्षी ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि आरोपी राजाराम, पप्पू और ब्रजमोहन ने उसकी डण्डों से मारपीट की थी। पप्पू ने उसके माथे एवं पैर में लाठी मारी थी तथा ब्रजमोहन ने उसकी पीठ में लाठी मारी थी। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी ब्रजमोहन ने उसके चाचा राजाराम के पैर और सिर में लाठी मारी थी तथा पप्पू कुशवाह ने राजाराम की पीठ में लाठी मारी थी। फरियादी राजाराम ने भी अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी ब्रजमोहन ने उसके सिर में, राजाराम ने उसकी बांयी भुजा में एवं पप्पू ने उसकी कमर में लाठी मारी थी। इस प्रकार फरियादी राजाराम अ.सा.3 एवं आहत राजवीर अ.सा.1 तथा ब्रजेश अ.सा.2 के कथनों से यह दर्शित है कि यद्यपि उक्त साक्षीगण के कथन में मारपीट के क्रम एवं किस आरोपी ने कहाँ चोट पहुँचाई के बिंदु पर किंचित विसंगति है, परंतु जहाँ तीन आरोपी मिलकर तीन व्यक्तियों की मारपीट करते हैं तो वह पिटने वालों के कथन में मारपीट के क्रम एवं हथियारों की प्रकृति के संबंध में विसंगति आना स्वाभाविक है एवं मात्र उक्त विसंगति से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

25. आहत राजवीर अ.सा.1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि आरोपीगण ने उसके चाचा की मारपीट डण्डे से की थी लाठी से नहीं की थी तो यहां यह उल्लेखनीय है कि लाठी एवं डण्डा मूलतः एक ही प्रकृति के हथियार हैं ऐसी स्थिति में मात्र उक्त कथन से भी अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

26. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि घटना दिनांक 27/04/15 की है एवं फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने पर दिनांक 28/04/15 को सुबह 10:45 बजे की गयी है एवं फरियादी राजाराम तथा आहत ब्रजेश एवं राजवीर का चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट लिखे जाने के पूर्व दिनांक 27/04/15 को हुआ है यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है। उक्त संबंध में बचाव पक्ष की ओर से न्याय दृष्टांत निरपथ सिंह वि. मध्यप्रदेश राज्य 1994 एम.पी.डबल्यू.एन. 69 एवं न्याय दृष्टांत भारतसिंह वि. मध्यप्रदेश राज्य 1980 एम.पी.डबल्यू.एन. 193 प्रकरण में प्रस्तुत किये गये हैं।

27. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक 27/04/15 को रात्रि करीबन आठ नौ बजे की है एवं फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट दिनांक 28/04/15 को 10:45 बजे की गयी है तथा चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी 3, प्रदर्श पी 4 एवं प्रदर्श पी 5 के अवलोकन से यह दर्शित है कि फरियादी राजाराम का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 27/04/15 को रात्रि साढ़े आठ बजे, आहत राजवीर का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 27/04/15 को रात्रि 8:50 बजे एवं आहत ब्रजेश का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 27/04/15 को रात्रि 8:40 बजे होना लेख है। इस प्रकार प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्रदर्श पी 3, प्रदर्श पी 4 तथा प्रदर्श पी 5 की चिकित्सीय रिपोर्ट से यह दर्शित है कि फरियादी राजाराम एवं आहत ब्रजेश तथा राजवीर का चिकित्सीय परीक्षण प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने के पूर्व हो चुका था। उक्त संबंध में तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील खेमरिया अ.सा.6 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि दिनांक 27/04/15 को आहत ब्रजेश, राजवीर एवं राजाराम बघेल थाने आये थे तथा उसने चोट ज्यादा होने

से मुलायजा फॉर्म भरकर आहतगण को चिकित्सीय परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद भेजा था तथा उन्हें हिदायत दी थी कि वे मेडिकल कराकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करायें। उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अखण्डनीय रहा है।

28. इस प्रकार सुनील खेमरिया अ.सा.6 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि झगड़ा होने के बाद फरियादी राजाराम एवं आहत राजवीर एवं ब्रजेश थाने आये थे तथा उसने फरियादी एवं आहत को पहले मेडिकल कराने भेजा था एवं तत्पश्चात् रिपोर्ट दर्ज कराने सलाह दी थी। ए.एस.आई. कमलेश कुमार ओझा अ.सा.7 जिसके द्वारा प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी है ने भी अपने कथन में यह बताया है कि उसने दिनांक 28/04/15 को फरियादी राजाराम बघेल की सूचना पर प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। यद्यपि उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि उसने दिनांक 28/04/15 को फरियादी एवं आहतगण को मेडिकल के लिए भेजा था, लेकिन उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे याद नहीं है कि उसने आहतगण को किस अपराध में मेडिकल के लिए भेजा था। उसने रिपोर्ट लिखने के बाद मुलायजा फॉर्म नहीं भरे थे।

29. इस प्रकार कमलेश ओझा अ.सा.7 ने अपने कथन में मात्र प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना बताया है तथा यह भी बताया है कि उसने हस्तगत अपराध में रिपोर्ट लिखने के बाद मुलायजा फॉर्म नहीं भरे थे जबकि सुनील खेमरिया अ.सा.6 का कहना है कि चोटें ज्यादा होने से उसने आहतगण को रिपोर्ट लिखाने के पहले ही मुलायजा फॉर्म भरकर चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा था। फरियादी राजाराम बघेल अ.सा.3 एवं आहत राजवीर अ.सा.1 तथा ब्रजेश अ.सा.2 ने भी झगड़े के बाद रिपोर्ट लिखाने थाने पर जाना बताया है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर आयी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि फरियादी राजाराम एवं आहत राजवीर तथा ब्रजेश दिनांक 27/04/15 को घटना होने के बाद थाने पर गये थे एवं तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील खेमरिया द्वारा रिपोर्ट लिखने से पहले ही उन्हें चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया था। ऐसी स्थिति में मात्र इस आधार पर कि फरियादी एवं आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण प्रदर्श पी 1 रिपोर्ट लिखे जाने के पूर्व हुआ था अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है एवं उक्त बिंदु पर आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत परिस्थितियों में भिन्नता होने के कारण प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं।

30. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि फरियादी राजाराम ने आरोपी राजाराम की नातिन बबली एवं पड़ोसी की बच्ची श्रद्धा को मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी थी जिसकी रिपोर्ट आरोपीगण द्वारा की गयी थी उक्त रिपोर्ट से बचने के लिए फरियादी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। उक्त संबंध में बचाव पक्ष द्वारा आरोपी राजाराम ब.सा. 1 को भी परीक्षित कराया गया है। राजाराम ब.सा.1 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक को राजाराम बघेल ने बबली व श्रद्धा के टक्कर मार दी थी। उक्त दुर्घटना में राजाराम भी गिर पड़े थे उनके भी चोटें आयी थीं ब्रजेश एवं राजवीर की मोटरसाइकिल राजाराम की मोटरसाइकिल से टकरा गयी थी जिससे ब्रजेश एवं राजवीर के भी चोटें आ गयी थीं। यहां यह उल्लेखनीय है कि फरियादी राजाराम अ.सा.3 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि टक्कर वाले मामले में उसे पंद्रह सौ रुपये का जुर्माना हुआ था। इस प्रकार यद्यपि फरियादी राजाराम अ.सा.3 ने उसके विरुद्ध एक्सीडेंट का अपराध दर्ज होना एवं उसमें पंद्रह सौ रुपये का जुर्माना होना स्वीकार किया है, परंतु इससे यह दर्शित नहीं होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी राजाराम एवं आहत ब्रजेश तथा राजवीर की मारपीट नहीं की गयी थी। आरोपी राजाराम ब.सा.1 ने व्यक्त किया है कि वाहन दुर्घटना में ही फरियादी एवं आहतगण को चोटें आयी थीं, परंतु उक्त संबंध में कोई साक्ष्य, कोई दस्तावेज एक्सीडेंट की रिपोर्ट आरोपीगण द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है ऐसी स्थिति में आरोपी राजाराम ब.सा.1 का यह कथन कि फरियादी एवं आहतगण को वाहन दुर्घटना में चोटें आयी थीं

स्वीकार योग्य नहीं है।

31. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि फरियादी द्वारा राजीनामा का दबाव बनाने के लिए आरोपीगण के विरुद्ध मिथ्या अपराध पंजीबद्ध कराया गया है, परंतु बचाव पक्ष का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है यद्यपि आहत ब्रजेश अ.सा.2 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने घर पर राजीनामा करने के लिए सलाह मशवरा की थी, परंतु इससे यह अर्थ कदापि नहीं निकाला जा सकता है कि आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलग्न किया गया है। आरोपीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे फरियादीगण के कथनों का खण्डन होता हो ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य से बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

32. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी राजाराम बघेल अ.सा.3 ने आरोपी ब्रजमोहन, राजाराम एवं पप्पू कुशवाह द्वारा उसकी लाठियों से मारपीट करना बताया है आहत राजवीर अ.सा.1 एवं ब्रजेश अ.सा.2 ने भी आरोपीगण द्वारा उनकी एवं फरियादी राजाराम की लाठियों से मारपीट करना बताया है। उक्त साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है। फरियादी राजाराम अ.सा.3 का कथन तात्विक बिंदुओं पर प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट नहीं रहा है। फरियादी एवं आहतगण के कथनों की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी हो रही है एवं जहां फरियादी एवं आहतगण का कथन चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्ट हो वहां फरियादी एवं आहतगण के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

33. फलतः उपरोक्त चरणों में की समग्र विवेचना से संदेह से परे यह प्रमाणित है कि ६ टना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी राजाराम तथा आहत राजवीर एवं ब्रजेश की लाठियों से मारपीट कर उन्हें साधारण उपहति कारित की।

34. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण द्वारा फरियादी राजाराम एवं आहत राजवीर तथा ब्रजेश को स्वेच्छया उपहति कारित की गयी? उक्त संबंध में फरियादी राजाराम अ.सा.3, आहत राजवीर अ.सा.1 एवं ब्रजेश अ.सा.2 के कथनों से यह दर्शित है कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य आकस्मिक विवाद हुआ था एवं उक्त विवाद के कारण ही आरोपीगण ने फरियादी राजाराम एवं आहत राजवीर तथा ब्रजेश की लाठियों से मारपीट कर उन्हें साधारण उपहति कारित की थी मारपीट करते समय आरोपीगण यह समझने में सक्षम थे कि उनके द्वारा जिस आयुध से फरियादी एवं आहतगण की मारपीट की जा रही है उससे फरियादी एवं आहतगण को उपहति कारित होना संभावित है आरोपीगण का ऐसा कहना भी नहीं है कि उनके द्वारा प्रायवेत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुये फरियादी एवं आहतगण को उपहति कारित की गई थी ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से यही दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी राजाराम एवं आहत राजवीर तथा ब्रजेश को स्वेच्छया उपहति कारित की गई थी।

35. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 27/04/15 को रात्रि करीबन आठ नौ बजे गोहदी मोड़ के सामने आम रोड गोहद में फरियादी राजाराम एवं आहत ब्रजेश तथा राजवीर की लाठियों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी राजाराम, लाल सिंह उर्फ पप्पू एवं ब्रजमोहन को भा.दं.सं. की धारा 323(तीन शीर्ष) के अंतर्गत दोषी पाती है।

36. समग्र अवलोकन से यह न्यायालय आरोपी राजाराम, लालसिंह उर्फ पप्पू एवं ब्रजमोहन को भा.दं.सं. की धारा 294, 341 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त करते हुए आरोपीगण को भा.दं.सं. की धारा 323(तीन शीर्ष) के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।

37. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थायी रूप से स्थगित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला मिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

38. आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।

39. आरोपीगण अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है एवं आरोपीगण द्वारा नियमित रूपसे विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपीगण वयस्क व्यक्ति है तथा सुसंगत समय पर अपने कृत्य के परिणामो को समझने में पूर्णतः सक्षम थे। आरोपीगण द्वारा जिस तरह से फरियादी राजाराम एवं आहत राजवीर और ब्रजेश की मारपीट की गयी है उन परिस्थितियों में आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है आरोपीगण को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना आवश्यक है। फलतः यह न्यायालय आरोपी राजाराम, लाल सिंह उर्फ पप्पू तथा ब्रजमोहन को भा.दं.सं. की धारा 323(तीन शीर्ष) के अंतर्गत निम्नानुसार दण्ड से दण्डित करती है।

स0 क0	आरोपी का नाम	धारा भा0द0सं0	कारावास सश्रम	अर्थदण्ड राशि रू0	व्यक्तिकम सश्रम
1.	राजाराम राठौर	323(तीन शीर्ष)	तीन माह (प्रत्येक शीर्ष में)	500/— (पांच सौ रुपये) (प्रत्येक शीर्ष में)	पंद्रह दिवस (प्रत्येक शीर्ष में)
2.	लाल सिंह उर्फ पप्पू कुशवाह	323(तीन शीर्ष)	तीन माह (प्रत्येक शीर्ष में)	500/— (पांच सौ रुपये) (प्रत्येक शीर्ष में)	पंद्रह दिवस (प्रत्येक शीर्ष में)
3	ब्रजमोहन शर्मा	323(तीन शीर्ष)	तीन माह (प्रत्येक शीर्ष में)	500/— (पांच सौ रुपये) (प्रत्येक शीर्ष में)	पंद्रह दिवस (प्रत्येक शीर्ष में)

40. कारावास की सभी सजायें एक साथ चलेगी।

41. आरोपीगण द्वारा अर्थदंड की राशि अदा किये जाने पर द0प्र0स0 की धारा 357 (3) के अंतर्गत फरियादी राजाराम एवं आहत राजवीर तथा ब्रजेश में से प्रत्येक को एक-एक हजार रुपये प्रतिकर के रूप में अपील अवधि पश्चात दिये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशो का

पालन किया जावे।

42. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

43. प्रकरण में जप्तशुदा बांस के डण्डे मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् तोड़-तोड़ कर नष्ट किये जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

44. आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे हैं उनके संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावें। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावें। आरोपीगण इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहे हैं।

45. तदनुसार सजा वारंट तैयार किये जावें।

स्थान – गोहद

दिनांक – 06/04/17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)